सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि (हडको) की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर , 2023 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगीः

सामान्य व्यवसाय

1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशकगणों की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) को प्राप्त करना, उन पर विचार करना एवं अंगीकार करना।

2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुशंसित कंपनी की प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी पर 31% (3.10/–रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर पर अंतिम लाभांश घोषित करना और मार्च, 2023 को 7.50% (0.75/–रु. प्रति इक्विटी शेयर) की दर से पूर्व घोषित अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

3. श्री मुनियप्पा नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) (डीआईएनः 05184848) जो इस वार्षिक सामान्य बैठक में आवर्तन अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में यथा अनुमोदित निबंधन एवं शर्तों पर एक निदेशक नियुक्त करना।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

5. निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों अथवा संशोधनों के बिना इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

"संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 और/या किसी भी अन्य लागू कानून (वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के लागू प्रावधानों/विनियमों के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों के अनुपालन में श्री सतिंदर पाल सिंह (डीआईएनः 07490296), जिन्हें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 24 अप्रैल, 2023 के आदेश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था और बाद में इन्हें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक (24 अप्रैल, 2023 से प्रभावी) नियुक्त किया गया था जिसके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखने के लिए लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, और तदनुसार उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उनकी नियुक्ति के समान नियमों एवं शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के पात्र हैं।"

6. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा योग्य पाए जाने की स्थिति में संशोधन (ओं) सहित अथवा रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः**

"संकल्प लिया जाता है किः

(i) कंपनी (प्रोस्टपेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़) नियमावली, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (सांविधिक संशोधन(ओं) अथवा उनके तहत यथा समय निर्मित कानून), प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स के निर्गम हेतु आवास वित्त कंपनी (एनएचबी)/आरबीआई और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना(ओं) यदि कोई हैं, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार इस विशेष संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 18,000 करोड़ रु. तक की निधि जुटाने हेतु कंपनी की सहमति, (बशर्ते निश्चित समय पर बकाया उधार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा उधार की समग्र सीमा से अधिक नहीं हो) इसके लिए घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक या एक से अधिक खेप/युग्मों में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर कंपनी के अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर निर्गम एवं ग्रीन शू विकल्प सहित (उपर्युक्त वर्णित 18,000 करोड़ रु. की समग्र सीमा में), यदि कोई है, यथा लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों और बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शर्तों पर या बोर्ड की विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, दी जाती है।

(ii) अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") अथवा बोर्ड की विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकरण जो यथा आवश्यक सभी कार्यों, विलेखों और बातों को निष्पादित करने और साथ ही साथ यह कार्य निर्गम की शर्तों के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है अपितु इसमें निवेशकों का वह वर्ग भी शामिल है जिसे बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, और प्रत्येक खेप में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या के अतिरिक्त निर्गम का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, मौजूदा बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम के मूल्य पर छूट, सूचीकरण, बांड से संबंधित कोई घोषणा/शपथनामा अथवा बांड की शर्तें जारी करना इत्यादि, जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर पत्र/ऑफर दस्तावेज/ऑफर परिपत्र तथा उस समय अनिवार्य कोई अन्य नियामक अर्हताए शामिल किया जाना है, के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

(iii) कंपनी (प्रोस्पेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़) नियमावली, 2014 के नियम 14 के प्रावधानों के अंतर्गत हडको के निदेशक मंडल को कंपनी के वार्षिक उधार कार्यक्रम के तहत समय–समय पर यथा अनुमोदित सीमा तक अन्य प्रतिभूतियों (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन) को जारी करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है, बशर्तें यह किसी भी समय विशेष पर विशेष संकल्प द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अधीन शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित उधार की कुल सीमा से अधिक नहीं होगी।

7. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा योग्य पाए जाने की स्थिति में संशोधन (ओं) सहित अथवा रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :**

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उनके तहत निर्मित नियमों (सांविधिक संशोधनों अथवा उनके पुनःअधिनियमन) तथा उस समय लागू अन्य कानूनों के तहत जो अन्य किस्म के अनुमोदन, आज्ञा तथा स्वीकृतियों के अधीन हैं, जैसा आवश्यक हो, के अनुसरण में संस्था के अंतर्नियमों के आकस्मिक अथवा गौण वस्तुओं के खंड III (बी) के पैरा में संशोधन हेतु ''साझेदारी'' अथवा 'द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ (एनएचबी), निर्देशन, 2010' को हटाकर पैरा '12' को निम्नानुसार पढ़ने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है:

' *'लाभ साझा करने या एकत्र करने, समामेलन, हितों, सहयोग, संयुक्त उद्यम या पारस्परिक छूट या अन्यथा किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करना या किसी व्यवसाय के संचालकों या उसमें कार्यरत व्यक्ति अथवा कंपनी के साथ समामेलन करना अथवा ऐसे लेनदेन जिन्हें यह कंपनी किसी व्यवसायिक उपक्रम या लेन.देन में शामिल होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, जो इस कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने अथवा संचालित किए जाने में सक्षम प्रतीत हो सकता है।''*

8. **निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और योग्य पाए जाने की स्थिति में संशोधन (ओं) सहित अथवा रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना**

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत निर्मित नियमों की धारा 14 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार ;किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन और उस समय लागू होने वाले किसी भी अन्य लागू कानून, स्वीकृतियां, अनुमति एवं प्रतिबंधों जो आवश्यक हो सकती हैं,हडको के संस्था के अंतर्नियमों की अनुच्छेद संख्या 39 (डी) (डी) को जोड़ने के लिए निम्नानुसार अनुमोदन दिया जाएगाः

' 'लागू अधिनियम/कानून/विनियमों के प्रावधानों तथा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, जैसा आवश्यक हो, कंपनी द्वारा समय–समय पर जारी ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित नियामक अधिकारियों द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत उल्लिखित ब्याज और/या मोचन राशि और/या सुरक्षा राशि के सृजन में चूक या ऐसे निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट के कारण चूक की स्थिति में नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी को अपने नामिती निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार होगा।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 25 अगस्त, 2023

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस की मद सं. 5 से 6 के तहत व्यवसाय के संबंध में वस्तुगत तथ्यों को स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है। वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक –2 के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न हैं:

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी अन्य संगत परिपत्रों (समग्र रूप में एमसीए परिपत्र के नाम से संदर्भित) के साथ दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 के सामान्य परिपत्र सं.10/2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (इसमें बाद में सेबी परिपत्र के रूप में समग्रतः संदर्भित) की ओर से समय–समय पर जारी अन्य संगत परिपत्रों के साथ पारित 05 जनवरी, 2023 के परिपत्र सं.सेबी/के अनुसरण में कंपनियाँ वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा किसी अन्य माध्यम से किसी एक स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य बैठक करने के लिए अनुमति प्राप्त है। अतएव परिपत्रों के अनुपालन में किसी स्थान विशेष पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा किसी अन्य ऑडियो–वीज्युअल माध्यम से कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की जा रही है।

   चूंकि कंपनी की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाई का स्थान हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा

3 **कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत एक सदस्य स्वयं/अथवा एक प्रॉक्सी नियुक्त करने और मतदान करने के लिए हकदार है तथा प्रॉक्सी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। चूंकि कंपनी वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ऑडियोके माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित कर रही है, इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति निषिद्ध कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम में प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अतः प्रॉक्सी फॉर्म और पहुँचने का मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं;**

4. भारत के राष्ट्रपति और/या कॉर्पोरेट निकाय जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होकर ई–मतदान के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्य जो एजीएम में उपस्थित होने और उनकी ओर से वोट डालने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने मंडल अथवा नियंत्रक निकाय को संकल्प/प्राधिकार पत्र की स्कैन अनुप्रमाणित प्रतिलिपि (पीडीएफ/जेपीजी) प्रारूप में एजीएम से कम से कम 48 घंटे पहले भेजनी होगी जिसमें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और उनकी ओर से ई–मतदान विधि द्वारा उन्हें प्राधिकृत करने का उल्लेख किया गया हो। उक्त संकल्प/प्राधिकार पत्र जांचकर्ता को ईमेल के माध्यम से उनकी पंजीकृत ईमेल hemantsinghcs@gmail.com पर भेजा जाएगा;

5. यदि बैठक में संयुक्त धारक प्रतिभागिता करते हैं तब केवल ऐसे संयुक्त धारक को ही मतदान करने का अधिकार होगा जिनके नाम कंपनी सदस्यों के रजिस्टर/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल')/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (सामूहिक तौर पर 'डिपाजिटरीज़' संदर्भित) द्वारा प्रदान किए गए लाभार्थी स्वामित्वों की सूची नामों के क्रम में पहले आता है।

6. सेबी/एमसीए परिपत्र(ओं) के अनुसरण में, वर्ष 2022–23 की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें रिमोट ई–मतदान की प्रक्रिया और विधि, वार्षिक सामान्य बैठक के दिन ई–मतदान हेतु सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुदेश का उल्लेख है, इसे उन सभी सदस्यों को संप्रेषण प्रयोजन हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा रही है, जिनकी ईमेल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) और/या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। कंपनी वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगी जो फोलियो सं./डीपी आईडी तथा ग्राहक आईडी के साथ विशेष रूप से cswhudco@hudco-org पर इसके लिए अनुरोध करेंगें। वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर अपलोड कर दी गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा सीडीएसएल (वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी) की वेबसाइटों www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evotingindia.com पर भी देखा जा सकता है।

7. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे दिनांक 16 सितंबर 2023 को सायं 05:00 बजे से पहले अपने पंजीकृत ईमेल से नाम, डीमेट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ईमल investors.agm@hudco.org पर वक्ता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को जिन्होंने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, एजीएम के दौरान शेयरधारकों के प्रश्नकाल के समय अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी को एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या और प्रश्नों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के किसी भी मुद्दे के विषय में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की तारीख से कम से कम दस दिन पहले investor.agm@hudco.org पर अपने प्रश्न भेजें ताकि अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण को एजीएम के समय सुलभता से उपलब्ध करवाई जा सके।

8. लाभांश वितरण नीति और डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु 10 रु. प्रति शेयर के अंकित मूल्य के लिए 3.10 रु. (31.00%) की दर पर प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदन/घोषणा के उपरांत, उन पात्र सदस्यों को लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के अधीन किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि 8 सितंबर, 2023 के कार्य घंटों के अंत में लाभांशी/सदस्य के रूप में प्रदर्शित हैं।

उपर्युक्त संस्तुति के अनुसार, अंतिम लाभांश के अतिरिक्त, बोर्ड पहले ही मार्च, 2023 में 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 0.75 रुपये (7.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान कर चुका है।

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन दिए जाने पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश 3.85 रुपये (38.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर होगा जिसके कुल लाभांश के भुगतान की राशि 770.73 करोड़ रुपये होगी;

53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत अंतिम लाभांश का निर्धारित समयावधि में उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन कर दिए हैं। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, के लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट आदि उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, जिन सदस्यों के शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड तथा जिनके शेयर भौतिक मोड में हैं, उनसे क्रमशः अपने डिपॉजिटरी, तथा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से केवाईसी अपडेट करवाने का अनुरोध किया जाता है;

शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात वर्षों की लगातार अवधि तक लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जा सकता है। ऐसे अदावाकृत लाभांश संबंधित शेयर भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों/दावेदारों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा में कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें;

9. सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के तहत 01 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किए गए लाभांश पर कर लगाया जाएगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर

(टीडीएस) की कटौती अनिवार्य होगी। निवासी और अनिवासी शेयरधारकों के लिए लागू आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) का प्रावधान निम्नानुसार है:

क. **निवासी शेयरधारकों के लिए:** आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत कर की कटौती निम्नानुसार की जाएगी

वैध पैन प्रस्तुत/उपलब्ध/पंजीकृत कराने की स्थिति में	10 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित
वैध पैन प्रस्तुत/उपलब्ध/पंजीकृत न कराने की स्थिति में	20 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित
शेयरधारक जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अंतर्गत वर्गीकृत 'निर्दिष्ट व्यक्ति' हैं	लाभांश की राशि पर लागू दर से दो गुना या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
आयकर अधिनियम, की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी कम/शून्य कर कटौती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराने वाले सदस्य	प्रमाण–पत्र में उल्लिखित दर

* आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, प्रत्येक पैनधारक व्यक्ति और जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक होगा। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो आवंटित पैन अमान्य/निष्क्रिय माना जाएगा और वह आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा तथा आईटी अधिनियम के तहत उससे निर्धारित उच्च दरों पर कर की कटौती की जाएगी। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए को अपना पैन जमा नहीं किया है, उनसे तुरंत पैन जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

'निर्दिष्ट व्यक्ति' के लिए टीडीएस की कटौती

टीडीएस की कटौती 5% की निर्दिष्ट दर पर अर्थात निवासी शेयरधारकों को देय लाभांश की राशि पर लागू दर से दोगुनी होगी, जिन्होंने

(i) विगत वर्ष से ठीक पूर्व दो वर्षों से संबंधित दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए जिन सदस्यों ने आय विवरणी दाखिल नहीं की है जिसमें कर की कटौती/संग्रहण की आवश्यकता है, ऐसे सदस्यों के लिए पिछले दो वर्षों को गिना जाना आवश्यक है जिनकी धारा 139 की उप–धारा (I) के तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख समाप्त हो गई है; और

(ii) इन दो वर्षों में प्रत्येक में स्रोत पर कटौती तथा संग्रहित कर की कुल राशि पचास हज़ार या उससे अधिक होती है।

अनिवासी शेयरधारकों या अनिवासी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 206एबी में उल्लिखित कर की उच्च दर लागू नहीं होगी, यदि ऐसे अनिवासी के पास भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने किसी व्यक्ति के 'निर्दिष्ट व्यक्ति' होने से संबंधित कार्यक्षमता निर्धारण की शर्तें निर्धारित की हैं। शर्तें पूरी करने पर कंपनी सीबीडीटी द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त कार्यक्षमता से सत्यापित करेगी कि क्या कंपनी का कोई शेयरधारक प्रासंगिक टीडीएस दरों को लागू करने से पहले 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की शर्तों को पूरा करता है।

देय लाभांश पर कोई भी कर कटौती नहीं की जाएगी

क) एकल निवासी शेयरधारकों के लिए, यदि :

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा देय कुल लाभांश की राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, तथा

(ii) ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15एच) प्रदान करता है। निवासी शेयरधारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी अन्य दस्तावेज को भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15जी/15एच या उपर्युक्त वर्णित किसी अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने वाले सदस्यों के लिए पैन अनिवार्य है।

ख) निवासी व्यैक्तिक शेयरधारक के अलावा :

शेयरधारकों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

शेयरधारक की श्रेणी	अपेक्षित दस्तावेज़
बीमा कंपनियाँ	पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन की स्व–सत्यापित प्रति के साथ शेयरों के लाभार्थित स्वामी होने का स्व–घोषणा पत्र
म्युचुअल फंड	स्व–घोषणा करनी होगी कि उन पर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23डी) के प्रावधान लागू हैं और उन्हें पैन तथा सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति जमा करनी होगी;
भारत में स्थापित/निगमित वैकल्पिक निवेश निधि	स्व–घोषणा करनी होगी कि इसकी आय अधिनियम 1961 की धारा 10 (23एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी नियमों के तहत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में स्थापित और शासित हैं तथा पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी;
नई पेंशन प्रणाली न्यास	स्व–घोषणा करनी होगी कि उन पर धारा 10(44) (धारा 197ए की उपधारा 1 ई) के प्रावधान लागू हैं और पैन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करनी है;
केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम,	इस उद्देश्य से निगम के अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजी साक्ष्य पैन तथा प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत की है।
अन्य गैर–एकल निवासी शेयरधारक	आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त शेयरधारकों और आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल श्रेणियों के पैन की सत्यापित प्रति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य;

ख. **अनिवासी शेयरधारकों के लिए:** विदेशी पोर्टफालियों निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश की राशि पर 20 प्रतिशत की दर पर (लागू अधिभार और उपकर अलग से) या कर संधि दर, जो भी कम हो या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से टीडीएस लिया जाएगा।

कर संधि दर का लाभ उठाने के लिए, अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण करके कंपनी को उपलब्ध करवाने होंगे:

- भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आबंटित वैध पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति अथवा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 37 बीसी के अंतर्गत यथा निर्धारित विवरण;
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कर आवास प्रमाण–पत्र (टीआरसी) की स्व–सत्यापित प्रति जो उस राष्ट्र के कर या राजस्व प्राधिकरणों से प्राप्त की गई हो जिसका शेयरधारक निवासी है;
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी इलैक्ट्रानिक फार्म 10 एफ. फार्म 10 एफ को इलैक्ट्रानिक रूप में आयकर वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iecfoportal के ई–फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की लागू कर संधि के अनुसार भारत में कोई स्थायी आवास न होने से संबंधित स्व–घोषणा;
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लाभकारी स्वामित्व की स्व–घोषणा,
- अनिवासी शेयरधारक का स्व–घोषणा पत्र की वह वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्दिष्ट कर संधि पर दावा करने का पात्र है ।
- कर स्थगन के लिए आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट लागू कोई अन्य दस्तावेज, जो सदस्य द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित हो।

कंपनी, लाभांश राशि पर कर कटौती के समय लाभकारी कर संधि दरों को लागू करने/लाभांश राशि स्थगन करने के लिए बाध्य नहीं है। कर स्थगन के उद्देश्य से कर संधि की लाभकारी दर को लागू करना, अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता कंपनी द्वारा उनकी संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

यदि शेयरधारक एक ही पैन के तहत अलग–अलग स्थिति/श्रेणी के तहत कई खातों में शेयर हैं, तो एक पैन के तहत शेयरों को जिस स्थिति में रखा गया है, उस स्थिति पर लागू कर का अधिक हिस्सा अलग–अलग खातों में उनकी संपूर्ण शेयरधारिता पर माना जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि कर की शून्य/रियायती दर पर छूट का दावा करने के लिए, जैसा ऊपर बताया गया है और आईटी अधिनियम के तहत जरूरी है, कंपनी को केवल 10 सितम्बर , 2023 को या उससे पहले, dividend.tax@hudco.org पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार 10 सितम्बर , 2023 के बाद या ऊपर निर्दिष्ट ईमेल पते के अलावा किसी अन्य ईमेल पर भेजे गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी गलत प्रकटन, अशुद्धि, या शेयरधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी की चूक के कारण आयकर (ब्याज, जुर्माना आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही, कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे तथा अपीलीय कार्यवाही में कंपनी द्वारा आवश्यक अपेक्षित सहयोग, यदि कोई हो, प्रदान करेंगे।

ऐसी स्थिति में, रिकॉर्ड तिथि, अर्थात् 08 सितम्बर , 2023 को लाभांश आय का मूल्यांकन पंजीकृत शेयरधारक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (अर्थात, वास्तविक लाभार्थी की ओर से समाशोधन सदस्य, दलाल, आदि के पास शेयर) से करवाया जा सकता है, ऐसे पंजीकृत शेयरधारक (अर्थात, उपरोक्त समाशोधन सदस्य, दलाल, आदि) द्वारा 10 सितम्बर , 2023 को या उससे पहले कंपनी को वास्तविक लाभार्थी मालिक का नाम, पता, आवासीय स्थिति, टीडीएस क्रेडिट के लिए पैन नंबर का उल्लेख करते हुए घोषणा करना आवश्यक है। इस संबंध में कंपनी द्वारा 10 सितम्बर , 2023 के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार/कार्रवाई नहीं की जाएगी।

लाभांश भुगतान के बाद टीडीएस प्रमाणपत्र समय पर आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दिया जाएगा. शेयरधारक आयकर वेबसाइट पर अपने ई–फाइलिंग खातों से फॉर्म 26 एएस/एआईएस भी देख सकते हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के संदर्भ में, श्री मुनियप्पा नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) (डीआईएनः 05184848) इस वार्षिक सामान्य बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनः नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के कारण पुनः नियुक्ति हेतु अपनी सेवाओं का प्रस्ताव करते हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के अनुसार यथा आवश्यक विवरण, वार्षिक रिपोर्ट में 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' अध्याय के तहत 'निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल'में दिए गए हैं;

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त/पुनः नियुक्त किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या उस विधि से निश्चित किया जाएगा जैसा कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है;

12. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जहां ईसीएस और बैंक विवरण उपलब्ध हैं वहां निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश एवं अन्य नकद लाभ आदि वितरित करने के लिए डिपॉजिटरी द्वारा दिए गए बैंक खातों के विवरण का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सदस्य ध्यान दें कि डीपी/आरटीए के रिकॉर्ड में उपलब्ध उनके बैंक खातों के विवरण का उपयोग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (एनईसीएस) के माध्यम से लाभांश एवं अन्य नकद लाभ आदि के भुगतान हेतु किया जाएगा। इसलिए सदस्य सुनिश्चित करें कि डीपी/आरटीए के रिकॉर्ड में उनके सही बैंक विवरण दर्ज किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की ईसीएस अस्वीकृति न हो। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिपत्रों के अनुरूप समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए ईसीएस मोड का विकल्प चुनें।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन का पंजीकरण और पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक अधिदेश विवरण जैसे बैंक व शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित परिवर्तन के संबंध में यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं तो इसकी सूचना अपने डीपी को और यदि भौतिक रूप में रखे गए हैं तो अपने आरटीए को दें;

14. सेबी ने 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के माध्यम से दोहराया है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपना पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर 1 अक्टूबर, 2023 तक और 30 जून, 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। यदि भौतिक रूप में प्रतिभूति धारक 1 अक्टूबर, 2023 से पहले पैन तथा केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हे अथवा निर्धारित समयावधि में 16 मार्च, 2023 के सेबी परिपत्र के अनुसार अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो आरटीए ऐसे फोलियो को फ्रीज करने के लिए बाध्य है। फ्रीज फोलियो में प्रतिभूतियां पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करने और शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगी। यदि प्रतिभूतियां 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहती हैं, तो आरटीए/कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेज देगी;

    इसके अलावा, 3 नवंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के माध्यम से जारी सेबी निर्देशों के अनुपालन में, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) ने 24 मार्च, 2023 के पत्र (जिसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट पर इन्वेस्टर्स टैब पर उपलब्ध है) के अंतर्गत भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अपने पैन, केवाईसी विवरण इत्यादि, तथा नामांकन की एक प्रति कंपनी/आरटीए को शीघ्र अति शीघ्र जमा करने का परामर्श/अनुरोध किया है।

15. सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियां, दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनिमय; अनुमोदन प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप—विभाजन/विभाजनय प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन; संचरण और स्थानान्तरण जारी करने का आदेश दिया है। तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में डीमैटरियलाइज करवा लें, जिसके लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध फॉर्म आईएसआर—4 को विधिवत भरकर और हस्ताक्षर कर जमा कर दें। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सेवा अनुरोध को केवल केवाईसी अनुपालन के बाद ही प्रक्रियाबद्ध किया जा सकता है।

    सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, संशोधित, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए, कंपनी के शेयरों को भौतिक रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में परिवर्तित करवा लें।

    इसके अलावा, एक से अधिक फोलियो में समान नामक्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक फोलियो में अपनी शेयरधारिता को समेकित करने के लिए शेयर प्रमाणपत्रों सहित ऐसे फोलियो का विवरण आरटीए को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

16. सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया जाता है:

    क) अनिवासी भारतीय शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे स्थायी रूप से निवास करने हेतु भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन तथा भारत में अपने बैंक खाते का पूरा नाम, शाखा, पिन कोड के साथ बैंक का खाता प्रकार और नंबर और पता, यदि पहले नहीं दिया गया हो; के संबंध में अपने डीपी/आरटीए को तुरंत सूचित करें;

    ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम एवं फार्म, 2013 में निर्धारित फॉर्म संख्या एसएच—13 में नामांकन करके नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नामांकन को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए फार्म संख्या एसएच—14 का उपयोग किया जा सकता है। विधिवत भरे गए परिपूर्ण फॉर्म एसएच—13/एसएच—14 आरटीए को जमा करना आवश्यक है। रिक्त नामांकन फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org पर उपलब्ध हैं। अमूर्त रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन/पते में परिवर्तन संबंधित डीपी के पास दर्ज कराया जाना चाहिए; और

    ग) धोखापूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में बदलाव या उसकी मृत्यु के बारे में कंपनी को शीघ्र सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते (ओं) को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। होल्डिंग का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और समय—समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

17. 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान, सभी सदस्य अधिनियम की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता की इलेक्ट्रॉनिक प्रति देख सकते हैं; अधिनियम की धारा 189 के तहत निदेशकों की अभिरुचि के अनुबंध एवं व्यवस्था रजिस्टर, अन्य प्रासंगिक दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी को अपने डीपी/क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर बताते हुए investors.agm@hudco.org पर लिखित में पहले से भेजकर इनका अवलोकन कर सकते हैं;

18. मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, आरटीए शेयर संबंधी समस्त कार्यों की देखरेख करता है जैसे शेयरों का ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन/डीमेटीरिएलाइजेशन/कंसोलिडेशन, पते में बदलाव, बैंक अनिवार्यताएं, नामांकन भरने, लाभांश भुगतान इत्यादि। शेयर संबंधी समस्त कार्यों के लिए भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्राचार करने हेतु सदस्यों से निम्नलिखित पते पर आरटीए से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड,

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए)

अलंकित हाइट्स,

4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन,

नई दिल्ली–110005

ईमेलः rta@alankit.com

फोन नं.: 011–42541234/2354–1234

फैक्स नं.: 011–23552001

वेबसाइटः www.alankit.com

19. रिमोट ई–वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए अनुदेश

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी सदस्यों को गुरूवार, 21 सिंतम्बर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) बजे वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा आयोजित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा 53वीं एजीएम में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। सदस्यों को वोट देने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली एजीएम के स्थान के अलावा, सीडीएस द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी ।

2. सदस्यगण नोटिस में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए बैठक आरंभ होने के निश्चित समय से 15 मिनट पहले व बाद में वीसी/ओएवीएम में एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीए के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता पहले आओ पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। इसमें प्रमुख शेयरधारक (जिनके पास 2 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता है) और प्रोमोटर्स, संस्थागत निवेशक, निदेशकगण, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा कारोबार सहयोगी संबंध समिति के अध्यक्ष इत्यादि जिन्हें 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है, शामिल नही किए जाएंगे।

3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन बैठक में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या का मूल्यांकन करने की दृष्टि से गिनी जाएगी।

क. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश :

1. शेयरधारकों को सीडीएसएल ई–वोटिंग के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक इस सुविधा के बारे में रिमोट ई–वोटिंग विवरण का उपयोग करते हुए शेयरधारकों/सदस्यों की लॉगिन के अतर्गत https://www.evotingindia.com लिंक पर अवलोकन कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों की लॉगिन पर उपलब्ध होगी जहां कंपनी की ईवीएसएन अर्थात हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखाई देगी।

2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को हाईस्पीड वॉयर इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करते हुए वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा करने से वाईफाई गड़बड़ी तथा स्पीड संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता हैं। इसके अलावा शेयरधारकों से कैमरा को अनुमति प्रदान करना तथा बैठक के दौरान किसी समस्या से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इन्टरनेट प्रयोग करना अपेक्षित होगा।

3. कृपया ध्यान दें कि जो सदस्य मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लेपटॉप पर मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ेंगे, उन्हें अपने नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो का खराब अनुभव अर्थात उसमें कठिनाई आ सकती है। इसलिए, इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए स्थिर वाई–फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ख. वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान रिमोर्ट ई–वोटिंग तथा ई–वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश

i. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 18 सिंतम्बर, 2023 को प्रातः 09:00 (भारतीय मानक समय) बजे से शुरू होकर 20 सिंतम्बर, 2023 को सायंः 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान,14 सितम्बर,2023 ('कट–ऑफ तिथि') तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में, कंपनी के शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर

दिया जाएगा। किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है;

ii. सदस्यों को वोट डालने का अधिकार कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में कट–ऑफ तिथि यानि 14 सिंतम्बर, 2023 को होगा। जो व्यक्ति कट–ऑफ–तिथि को सदस्य नहीं है, उसके लिए वार्षिक सामान्य बैठक की इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझा जाए।

iii. ई–वोटिंग की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे। वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान वे शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान किया है/वोट डाल दिया है, वे भी वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हो सकते हैं किंतु उन्हें दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर, ऐसे व्यक्तिगत शेयरधारकों को जिनकी डीमैट मोड में प्रतिभूतियां हैं, उन्हें डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को उनके डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है;

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारक, एकल लॉगिन विवरण द्वारा अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से, ई–वोटिग सेवाप्रदाता (ईएसपी) पर दोबारा पंजीकरण किए बिना अपना मतदान देने में सक्षम हैं जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुविधाजनक बनता है अपितु ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना सहज हो जाता है।

चरण 1 : डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक एकल शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग में डिपोजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल के माध्यम से पहुँच

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक एकल शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग तथा वर्चुअल बैठकों में भाग लेने की लॉगिन विधि निम्नानुसार हैः

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल की ईज़ी/इज़िऐस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपनी मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते है। उन्हें अन्य प्रमाणीकरण के बिना ही ई–वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कर दिया जाएगा। उपयोगकर्ता के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए यूज़र के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/ myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com है। इसके बाद लॉगिन आइकन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi चुनें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीऐस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई–वोटिंग की जा रही है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं, अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीऐस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा लॉगिन का बटन दबाएं और Myeasi के न्यू सिस्टम पर क्लिक करें तथा पंजीकरण विकल्प चुनें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक www.cdslindia.com पेज पर डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करते हुए सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता इस ई–वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई–वोटिंग चल रही होगी और सभी ई–वोटिंग सेवाप्रदाताओं की प्रणाली को भी देख सकेगा।

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा में पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई–सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं और व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राऊज़र खोलें, https://eservices.nsdl.com यूआरएल टाइप करके ई–सेवाओं का होम पेज खुलने के उपरांत ''लॉगिन'' के तहत ''बेनीफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सैक्शन के अंदर उपलब्ध है। अब आपके सामने नई स्क्रीन खुल जाएगी। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने पर आप ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं में 'एसेस टू ई–वोटिंग' पर क्लिक करते ही आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। फिर कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवाप्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई–सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://e services.nsdl.com पर उपलब्ध है। ''आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण'' अथवा https:eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें, चुनें। 3) एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं और व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप करके वेब ब्राऊज़र खोलें : ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। अब आपके सम्मुख नई स्क्रीन खुल जाएगी। अपना यूज़र आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। अब कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
एकल शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) जो अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** के माध्यम से लॉगिन करते हैं।	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरणों के उपयोग से भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। जब आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। अब कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल के पास डीमैट प्रारूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण सीडीएसएल के हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर अथवा टोलफ्री नं.1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के पास डीमैट प्रारूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 18001020990 और 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं।

चरण 2 : भौतिक शेयरधारक तथा डीमैट प्रारूप के प्रारूप में गैर वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई–वोटिंग के माध्यम से पहुँच

(v) **भौतिक शेयरधारकों तथा डीमैट प्रारूप में वैयक्तिकों के अलावा शेयरधारिता रखने वालों के लिए ई–वोटिंग तथा वर्चुरूल बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन पद्धति**

(1) शेयरधारकों को ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करना चाहिए।

(2) शेयरधारक' पर क्लिक करें।

(3) अब अपनी यूज़र आईडी दर्ज करें।

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 करेक्टर की डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधाकों को कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या दर्ज करनी चाहिए।

(4) अब यथा प्रदर्शित ईमेज वेरिफिकेशन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(5) यदि आपके पास डीमैट प्रारूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगिन किया था और इससे पहले किसी कंपनी की ई–वोटिंग पर वोट किया था, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करेंगे।

(6) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तब निम्नलिखित निर्देश देखें:

भौतिक शेयरधारकों और डीमैट में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य के लिए अनुदेश	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों अल्फ़ा–न्यूमेरिक 'पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभाशं बैंक विवरण या जन्म तिथि	• लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं, तो कृपया डिविडेंड बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें।

(vi) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(vii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड बनाएं' मेन्यू पर जाएंगे जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों हेतु मतदान के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई–वोटिंग का विकल्प चुनते है। विशेष अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

(viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है।

(ix) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप वोट देना चाहते हैं।

(x) मतदान पृष्ठ पर आपको "रिज़ॉल्यूशन विवरण" दिखाई देगा जिसके सामने मतदान के लिए "हां/नहीं" विकल्प दिखाई देगा। अब आप हाँ या नहीं का चयन कर सकते हैं। 'हाँ' का तात्पर्य है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और 'नहीं' का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

(xi) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xii) संकल्प का चयन करने के बाद, आपने मतदान करने का निर्णय लिया है, इसलिए "सबमिट करें" पर क्लिक करें। तदुपरांत एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xiii) एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की "पुष्टि" कर देते हैं, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

(xv) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और ईमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें तथा फोरगोट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा निर्देशित विवरण दर्ज करें।

(xvi) बीआर/पीओए अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, यदि कोई भी अपलोड किया गया, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(xvii) गैर एकल शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा–केवल रिमोट वोटिंग।

- गैर–एकल शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉगिन करना है और 'कॉर्पोरेट मॉड्यूल' में अपना पंजीकरण करना है।
- पंजीकरण फॉर्म की एक स्कैन प्रति, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर हों, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग की स्थिति में वह डिलिक्ड भी जो जाएगी।
- बोर्ड के संकल्प पत्र और पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति, जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, तो इसे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता इसे सत्यापित कर सके।
- यदि गैर–एकल शेयरधारकों ने अलग–अलग टैब से वोट दिया है और इसे सीडीएसएल ई–मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है, तब जांचकर्ता द्वारा इसे सत्यापित करने के लिए वैकल्पिक रूप से, गैर–एकल शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि, के साथ मतदान के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित जांचकर्ता को hemantsinghcs@gmail पर और कंपनी की ईमेल investors.agm@hudco.org पर भेजना होगा।

ग. बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम तथा ई–मतदान के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों के लिए अनुदेश

1. वार्षिक सामान्य बैठक के दिन बैठक और ई–मतदान में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई–मतदान के लिए उपर्युक्त अनुदेशों में उल्लिखित है;

2. कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और नोटिस भेजने के बाद वह कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तारीख अर्थात 14 सिंतम्बर 2023 को शेयर रखता है, वह ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है;

3. श्री हेमंत कुमार सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसः 6033) की अनुपस्थिति में श्री पंकज कंठ (सदस्यता संख्या एसीएसः 10257), सहयोगी (ओं) मैसर्स श्री हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिवों को एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–मतदान प्रक्रिया और ई–मतदान की जांच करने हेतु जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।

घ. परिणाम की घोषणा

1. जांचकर्ता लागू कानूनों के तहत यथा उपलब्ध एजीएम के समापन की निर्धारित अवधि के भीतर, अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित रूप में पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिस पर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत मतदान का परिणाम तत्काल घोषित किया जाएगा।

2. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org और सीडीएसएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उपलब्ध किए जाएंगे। परिणामों को तुरंत बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं; तथा

3. 53वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों को एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा, बशर्ते संबंधित प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों।

ड. उन शेयरधारकों के लिए निर्देश जिनका ई–मेल/मोबाईल नंम्बर कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है।

1. व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए – कृपया आवश्यक जानकारी जैसे फालियों नम्बर, शेयरधारकों का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की आगे–पीछे से, स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (आधार कार्ड की स्वःसत्यापित स्कैन की गई प्रति) कंपनी को ई–मेल/आरबीआई ई–मेल आईडी पर ई–मेल द्वारा भेजें ।

2. डीमेंट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने मोबाइल नम्बर और ई–मेल आईडी अपलोड करें ।

3. व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए – कृपया संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ई–मेल आईडी और मोबाइल नम्बर अपलोड करें जो कि डिपॉजिटरी माध्यम से वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने और ई–वोटिंग के लिए अनिवार्य है।

4. यदि आपके पास वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने और सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।

5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 को संबोधित की जा सकती हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणियां

मद संख्या 5

श्री सतिंदर पाल सिंह (डीआईएनः 07490296) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या ए–42012(12)/39/2017–एए/भाग (1)ई–9111623 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर श्री सतिंदर पाल सिंह को दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित समान नियमों और शर्तों पर अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, अतिरिक्त (अंशकालिक सरकारी) निदेशक अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि अथवा वह अंतिम तिथि जिसको वार्षिक सामान्य बैठक होनी चाहिए थी, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए, हडको के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री सतिंदर पाल सिंह की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री सतिंदर पाल सिंह की उम्मीदवारी का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश की है कि श्री सतिंदर पाल सिंह को कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उनकी नियुक्ति के समान नियमों और शर्तों पर आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के पात्र हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार, श्री सतिन्दर पाल सिंह को छोड़कर, प्रस्तावित संकल्प से सम्बद्ध अथवा इच्छुक, वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा जुड़ा हुआ नहीं है। आपके निदेशकों द्वारा सदस्यों के अनुमोदन के लिए सूचना की मद सं.5 में यथा निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश की गई।

मद संख्या 6

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिभूतियों की प्रस्ताव अथवा प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या निमंत्रण के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से पहले मंजूरी नहीं दी गई हो। यद्यपि, 'अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड' के लिए प्रस्ताव या निमंत्रण के मामले में यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर/बॉन्ड के सभी प्रस्तावों या निमंत्रण के लिए वर्ष में केवल एक बार विशेष प्रस्ताव पारित करती है, तो ऐसा करना पर्याप्त होगा।

इस विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान संसाधन/धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निदेशक मंडल ने कंपनी के असुरक्षित/सुरक्षित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर, घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, एक या अधिक किश्तों/युग्मों में जारी करना प्रस्तावित किया है और इसमें अधिकतम 18,000 करोड रु. अथवा जैसा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जा सकता तक ग्रीन–शू विकल्प का प्रयोग भी शामिल है जिसके अंतर्गत बकाया उधार की राशि, यदि कोई हो, किसी भी समय कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करने के लिए एनएचबी/आरबीआई के निर्देश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समय–समय पर यथा संशोधित अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण को इन सभी कार्यों, विलेखों एवं अन्य कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जैसा आवश्यक होगा जो निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें ऐसे निवेशकों का वर्ग शामिल है जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं और प्रत्येक स्वेप में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रीमियम/छूट तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर, निर्गम की राशि, निर्गम मूल्य में छूट, सूचीबद्धता, घोषणा/वचनबद्धता जारी करना या बांड जारी करने के किसी नियम और शर्त, दस्तावेज/प्रस्ताव परिपत्र और वर्तमान में लागू कोई अन्य नियामक आदि का प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्ताव में शामिल करना आवश्यक है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/इनके रिश्तेदार प्रस्तावित संकल्प में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है अथवा उनकी कोई वित्तीय अथवा अन्यथा अभिरूचि है।

कंपनी के निदेशक सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव की संस्तुति करते हैं।

मद संख्या 7

आवास वित्त कंपनी होने के नाते हडको को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विनियमन/दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जा रहा है। आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के पैरा 32 ए के अनुसार, आवास वित्त कंपनी साझेदारी फर्मों में भागीदार नहीं हो सकती है। हडको के अंतर्नियमों के प्रासंगिक या सहायक उद्देश्यों के खंड III बी के पैरा (12) में 'साझेदारी में' शब्द शामिल है, जिसे आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुसार आवास वित्त कंपनियों के अनुरूप उक्त वस्तुगत खंड बनाने के लिए हटाना आवश्यक है। तदनुसार,अंतर्नियमों के आकस्मिक या सहायक उद्देश्य के खंड III बी के पैरा (12) से 'साझेदारी में' शब्दों को हटाने का प्रस्ताव है। संशोधित खंड इस नोटिस के 'विशेष व्यवसाय' शीर्षक के अंतर्गत मद संख्या 7 के प्रस्तावित संकल्प में उपलब्ध है।

कंपनी के किसी भी संबंधी का निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी/उनके रिश्तेदार का प्रस्तावित संकल्प में वित्तीय अथवा अन्यथा किसी भी तरह से संबंध अथवा निहित अभिरुचि नहीं है।

आपके निदेशकगण सूचना की मद संख्या 7 में यथा निर्दिष्ट विशेष संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करते हैं ।

मद संख्या 8

सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के खंड 15 (1) (ई), कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18 (3) (ई) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक डिबेंचर का नामित निदेशक को नियुक्त करने का कर्तव्य होगा (i) डिबेंचर धारकों को ब्याज के भुगतान में लगातार दो बार चूक होने या (ii)डिबेंचर के लिए सुरक्षा राशि जमा करने में चूक या (पपप)डिबेंचर के पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में कंपनी के बोर्ड पर एक नामित निदेशक नियुक्त करना चाहिए।

इस संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)ने सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूति निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम 2021 में संशोधन के माध्यम से अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को उनके संस्था के अंतर्नियमों (एओए) में अनुच्छेद शामिल करने का निर्देश दिया है, जिससे डिबेंचर ट्रस्टी को नामित निदेशक को जारीकर्ता कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने में सुविधा हो सके।

सेबी परिपत्र जारीकर्ता के एओए में उक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2023 की समयसीमा निर्धारित करता है । हडको की संस्था के अंतर्नियामली के अनुच्छेद 39 के अनुसार हडको के निदेशक मंडल में नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से संचालित होता है। तदनुसार, डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति के संबंध में अपेक्षित सहमति/अनुमोदन, नियुक्ति हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर उपरोक्त सूचित गतिविधियों की स्थिति में यथाआवश्यक प्रशासनिक मंत्रालय से लिया जाएगा।

कंपनी के किसी भी संबंधी का निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी/उनके रिश्तेदार का प्रस्तावित संकल्प में वित्तीय अथवा अन्यथा किसी भी तरह से संबंध अथवा निहित अभिरुचि नहीं है।

आपके निदेशक सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस सूचना की मद संख्या 8 पर निर्धारित विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 अगस्त 2023

53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनःनियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

निदेशक का नाम	श्री मुनियप्पा नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	श्री सतिंदर पाल सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक
डीआईएन	05184848	07490296
जन्म तिथि	23.07.1967	05.07.1968
आयु	56 वर्ष	55 वर्ष
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि	01.02.2019	24.04.2023
निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से संबंध	कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकर्मियों से संबंध नहीं हैं।	कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकर्मियों से संबंध नहीं हैं।
लाभार्थी स्वामी सहित हडको में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
शैक्षिक योग्यता	• लागत लेखाकार • कंपनी सचिव • वित्त में विशेषज्ञता सहित एमबीए, और • सीएआईआईबी	• सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि • कानून में स्नातकोत्तर उपाधि • पुलिस प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि
नियुक्ति की निबधन एवं शर्तें और भुगतान योग्य प्रस्तावित पारिश्रमिक	नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित भुगतान योग्य पारिश्रमिक	नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित हैं। इसके अतिरिक्त, ये कंपनी से किसी प्रकार के पारिश्रमिक/मानदेय के लिए पात्र नहीं हैं।
विशेष कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं अनुभव का संक्षिप्त परिचय	श्री नागराज को कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रबंधकीय क्षमताओं तथा ई–गवर्नेंस में ठोस बुनियादी सिद्धांतों सहित, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में 32 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आपने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत पीईसी लिमिटेड में सीएमडी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य किया है। इससे पहले, आप आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आईआईएफसीएल में महाप्रबंधक थे, जहां आप परियोजना वित्त विशेष रूप से टेक–आउट फाइनेंस, बोर्ड सचिवालय, सतर्कता गतिविधियां, व्यवसाय विकास आदि कार्य देखते थे।	श्री सतिंदर पाल सिंह 1995 बैच (हिमाचल प्रदेश कैडर) के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग में विशेष सचिव और पुलिस महानिरीक्षक सहित वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। आप वर्तमान में आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव हैं और इससे पहले भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।
वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मंडल की आयोजित बैठकों में उपस्थिति	दस	शून्य, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिनांक 23.04.2023 को कोई नियुक्ति नहीं की गई है।
अन्य कंपनियों/सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता	• बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड • नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य
विगत तीन वर्षों में जिन संस्थाओं से त्याग–पत्र दिया है, उनके विवरण।	शून्य	दिनांक 20.11.2020 से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. के निदेशक थे।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य	शून्य